(3)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 151/2007 दिनांक– 14.12.2007

प्रेमचन्द पुत्र औंकारमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम चैनगढ़ तन मोहनवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

– वादी

बनाम

1. गिरधारी सिंह पुत्र शार्दुल सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. संतोष कंवर पत्नी केशर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. कालूराम पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. गोपाल पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. रामनिवास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. प्रधानसिंह पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. बन्नाराम पुत्र हरदेवाराम जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. बालूराम पुत्र हरदेवाराम जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. लक्ष्मी देवी पत्नी भंवरलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. सांवर सिंह पुत्र भंवर लाल जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
12. रतनकंवर पुत्री भंवर लाल जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
13. मगनकंवर पुत्री भंवर लाल जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
14. नरेन्द्र सिह पुत्र भंवरलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
15. सज्जन सिह पुत्र गुमान सिह जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
16. बिमला कंवर पत्नी किशोर सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
17. राजस्थान–सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादीगण – एक पक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती नक्शा व विधिवत विभाजन

निर्णय तिथि 24.01.2022

निर्णय

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद–पत्र इस कदर पेश किया कि वाके राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में नई खाता संख्या 64 की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.21 हैक्टर स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 की शामलाती खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में वादी उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती नक्शा व विधिवत विभाजन पेश किया गया है। वाद–पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व सम्बोधित किया जा रहा है।

वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 की शमालाती खातेदारी की भूमि है, उक्त भूमि नये खसरा नम्बर 18 तथा पुराने खसरा नम्बर 19 थे, वादी वाद–पत्र के साथ पुरानी शीट सम्वत् 2009 (सन् 1953) तथा नई शीट सन 1979–80 की पेश की है। उक्त दोनो शीट में एक कटानशुदा रास्ता अंकित किया गया, जो नवलगढ़ से गोल्याणा [illegible] सड़क है, परन्तु दौराने सैटलमेंट पुरानी शीट में दर्ज कटान शुदा रास्ते के विपरीत नई शीट में खसरा नम्बर 18 से होता हुआ रास्ता दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 18 से होता हुआ रास्ता दर्ज कर दिया [illegible] 18 में से ही मौके सड़क मौके पर डाली गई है। उक्त सड़क खसरा नम्बर 18 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 18 का भाग पूर्व छोड़कर पश्चिम है, इसी प्रकार पुरानी शीट के विपरीत नई शीट बनाई गई, उसमें खसरा नम्बर 18 का नक्शा छोटा कर दिया तथा सड़क डालकर खसरा नम्बर 18 के पूर्व में खसरा नम्बर 18 का भाग छोड़ दिया, उसके खसरा [illegible] भी नही डाले, उक्त तमाम कार्यवाही सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर किया है। वादी मौके की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(5)

प्रति के अनुसार नजरी नक्शा वाद–पत्र के साथ पेश किया है, जो वाद–पत्र की अभिन्न अंग है, नजरी नक्शे के अनुसार ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के बिन्दुओं से खसरा नम्बर 18 को दर्शाया गया है, जिसमें क से ख नवलगढ से गोल्याणा सड़क दर्शाई गई है तथा ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के, सी.डी.ई. बिन्दुओं से खसरा नम्बर 18 के दो भाग दर्शाये गये है, उक्त नक्शे के अनुसार मौके की स्थिति है, वादी नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 18 का राजस्व नक्शा दुरूस्त करवाना चाहता है, सडक के पूर्व मे जो खसरा नम्बर 18 का भाग छोडा उसमें खसरा नम्बर अंकित करवाना चाहता है तथा खसरा नम्बर 18 का नक्शा छोटा बना दिया है, जो पुरानी शीट के अनुसार बड़ा बनाकर नक्शा दुरूस्ती की जावे तथा इसी आशय की घोषणा करवाना चाहता है।

वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 की शामलाती अविभाजित सम्पदा है, जिसका अभी तक विभाजन नही हुआ। विवादित सम्पति में वादी का 97/32100 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 13/642 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 02 का 35527/3210000 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 12387/1070000 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 04 का 697/1070000 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5 का 11/6420 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 6 का 11/6420 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 7 का 2837/1605000 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 का 19/1605 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर का 19/1605 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 15 प्रत्येक का 35254/200625 – 35254/200625 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 16 का 32527/3210000 हिस्सा है, इसी अनुसार काबिज है। उपरोक्त सम्पति शामलाती है, जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है, हालांकि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 ने मौके पर विभाजन कर रखा है, परन्तु राजस्व रिकार्ड शामलाती दर्ज है, शामलाती रिकार्ड दर्ज रहने से सह–खातेदार में भविष्य में कब्जे काश्त को लेकर विवाद हो सकता है, साथ ही शामलाती भूमि रहने से सरकारी विवाद हो सकता है, साथ ही शामलाती भूमि रहने से सरकारी सुविधाओं को सह–खातेदार भलीभांति प्राप्त नही कर सकते है, ना ही अपने हिस्से की भूमि का सही तरह से विकास कर सकते है, इसलिए विवादित भूमि का नक्शा दुरूस्त कर हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे।

उक्त वाद के लिये वादाधिकार गलत नक्शा बनने के रोज राजस्व रिकार्ड व नक्शे की नकल लेने व वस्तुस्थिति की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ। वैसे वाद का वाद घोषणा, दुरूस्ती नक्शा व विभाजन का है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय परिशिष्ट के अनुसार इस प्रकार के वाद के लिये कोई मियाद नही है। वादकारण हमेशा पैदा रहता है, खातेदारी काश्तकार कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। विवादित भूमि व पक्षकार न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है, इसलिये न्यायालय को उक्त वाद सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि

(क) वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में नई खाता संख्या 64 की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.21 हैक्टर का राजस्व नक्शा वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के बिन्दुओं से दर्शाया गया है, जिसमें क से ख नवलगढ से गोल्याणा सड़क दर्शायी गई है तथा ए.बी.ई.एफ. जी.एच. आई.जे.के.सी.डी.ई. बिन्दुओं से खसरा नम्बर 18 के दो भाग दर्शाये गये है, उक्त नक्शे के अनुसार मौके की स्थिति है। वादी नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 18 का राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावे सड़क के पूर्व में जो खसरा नम्बर 18 का भाग छोड़ा है, उसमें खसरा नम्बर अंकित किये जावे तथा खसरा नम्बर 18 का नक्शा छोटा बना दिया है, जो पुरानी शीट के अनुसार बड़ा बनाकर नक्शा दुरूस्ती की जावे तथा इसी आशय की घोषणा की जावे।

(ख) विवादित भूमि का वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 के मध्य उपरोक्त नक्शा दुरूस्ती करके मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा काश्त व हिस्से अनुसार सही नाप–जोख करके विधिवत विभाजन किया जावे, जिसके लिये प्रतिवादी नम्बर 17 को तहरीर जारी की जावे।

(ग) अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो, वादीगण के हक में [illegible] हो, वह भी दिलाई जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादी का वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद [illegible] किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की तलबी [illegible] रूप होने के बावजूद भी इनकी ओर से उपस्थित न्यायालय हाजा में नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम की जानी आवश्यक नही रह जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:45:31 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी प्रेमचन्द पुत्र औंकारमल जाति गुर्जर निवासी चैनगढ़ तथा गवाह सुम[illegible] सिंह मीणा उपस्थित न्यायालय हाजा हो अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2075–2078, प्रदर्श–3 पुरानी नक्शा शीट सम्वत् 2009 (सन् 1953), प्रदर्श–4 नई नक्शा शीट सन् 1979–1980 आदि प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वाद–पत्र में चाही गयी रिलीफ में विभाजन की रिलीफ को छोड़कर शेष रिलीफ अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाके राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में नई खाता संख्या 64 की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.21 हैक्टर जो वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 की शामलाती खातेदारी की भूमि है। प्रदर्श–2 ग्राम बारवा की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 अनुसार विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 की शमालाती खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित होता है। प्रदर्श–1 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 18 तथा पुराने खसरा नम्बर 19 बने है जो प्रमाणित होते है। प्रदर्श–3 पुरानी शीट सम्वत् 2009 (सन् 1953) तथा प्रदर्श–4 नई शीट सन् 1979–80 के अनुसार दोनो शीट में एक कटानशुदा रास्ता अंकित है, परन्तु दौराने सैटलमेंट पुरानी शीट में दर्ज कटानशुदा रास्ते के विपरीत नई शीट में खसरा नम्बर 18 से होता हुआ रास्ता दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 18 से होता हुआ रास्ता दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 18 मे से ही मौके सड़क मौके पर डाली गई है। उक्त सड़क खसरा नम्बर 18 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 18 का भाग पूर्व छोड़कर पश्चिम है, इसी प्रकार पुरानी शीट के विपरीत नई शीट बनाई गई, उसमें खसरा नम्बर 18 का नक्शा छोटा बना दिया तथा सड़क डालकर खसरा नम्बर 18 के पूर्व में खसरा नम्बर 18 का भाग छोड़ दिया, उसके खसरा नम्बर भी नही डाले गये है। वादी द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा वाद–पत्र के साथ पेश किया है, जिसका भी अवलोकन किया गया। नजरी नक्शे के अनुसार ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के बिन्दुओं से खसरा नम्बर 18 को दर्शाया गया है, जिसमें क से ख नवलगढ से गोल्याणा सड़क दर्शाई गई है तथा ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के, सी.डी.ई. बिन्दुओं से खसरा नम्बर 18 के दो भाग दर्शाये गये है। खसरा नम्बर 18 का नक्शा छोटा बना दिया है, जो पुरानी शीट के अनुसार बड़ा बनाकर नक्शा दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। विवादित सम्पति शामलाती है। इसलिए विवादित भूमि का नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.21 हैक्टर का राजस्व नक्शा पुरानी नक्शा शीट के अनुसार घोषित कर दुरूस्त किया जावे तथा सड़क के पूर्व में खसरा नम्बर 18 का भाग छोड़ा गया है उसमें दर्ज खातेदारी के अनुसार खसरा नम्बर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **24.01.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested

(6)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती नक्शा व विधिवत विभाजन

मुकदमा सं0:– 204/2020 (**प्रेमचन्द – बनाम – गिरधारी वगैरह**)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)**,सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **24.01.2022** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.21 हैक्टर का राजस्व नक्शा पुरानी नक्शा शीट के अनुसार घोषित कर दुरूस्त किया जावे तथा सड़क के पूर्व में खसरा नम्बर 18 का भाग छोड़ा गया है उसमें दर्ज खातेदारी के अनुसार खसरा नम्बर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.........–......... मुबलिग.........–.........बाबत......–........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24 माह 01 सन 2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मोहर

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	8.00	मुतफरिक मिजान	0.00
`कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested